न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी : मदनलाल बालोटिया, आर.जे.एस. (यूआईडी-आरजे00986)

नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या : 645/2018

सी.एन.आर. संख्या : RJDG070012812018

करणसिंह पिता तेजसिंह, उम्र 53 वर्ष, निवासी पाड़ला हांडलिया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.) -- परिवादी

बनाम

कालुराम पिता जेतेंग, उम्र 56 वर्ष, निवासी गामड़ा ब्राम्हणिया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.) -- अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री विपीन शर्मा, परिवादी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री बक्शीराम रोत, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय दिनांकः 09.06.2026

1. यह प्रकरण परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (संक्षेप में ''एन.आई.एक्ट'') का परिवाद दिनांक 21.08.2018 को न्यायालय में पेश किये जाने एवं दिनांक 09.10.2018 को उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर दर्ज रजिस्टर किये जाने से उद्भूत हुआ।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी ने अभियुक्त के विरूद्ध एक परिवाद अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट हेतु इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि अभियुक्त ने परिवादी से 1,50,000/- रूपये नगद उधार लिये तथा इस राशि की अदायगी हेतु एक चैक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गामड़ा ब्राम्हणिया का चैक संख्या 731061 दिनांकित 13.07.2018 राशि रूपये 1,50,000/- का उसके हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया। चैक परिवादी द्वारा दिनांक 16.07.2018 को उसके बैंक में प्रस्तुत किया, जहां से चैक अपर्याप्त राशि के आधार पर अनादरित कर चैक वापसी ज्ञापन के साथ दिनांक 16.07.2018 को लौटा दिया गया। चैक अनादरित होने पर उसने उसके अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 19.07.2018 को अभियुक्त के रजिस्टर्ड पते पर सूचना-पत्र प्रेषित किया, परन्तु अभियुक्त ने राशि अदा नहीं की। परिवाद में आगे वाद कारण, क्षेत्राधिकारिता सम्बन्धी तथ्य अंकित कर

Authenticated Document

अंत में अभियुक्त को उसके कृत्य की सजा एवं चैक राशि मय क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का निवेदन किया। परिवाद के समर्थन में शपथ-पत्र, मूल चैक, चैक रिटर्न मेमो, नोटिस की नकल, पोस्टल रसीद आदि पेश किये। इस आशय का परिवाद पेश होने पर प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किये जाने का आदेश दिया गया।

3. बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत अपराध के प्रथमदृष्टया आधार पाये जाने से दिनांक 09.10.2018 को अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया एवं प्रकरण परिवाद पर नियमित दाण्डिक दर्ज रजिस्टर किये जाने का आदेश दिया गया।

4. अभियुक्त को दिनांक 07.02.2026 को धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध का अभियोग सार पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अन्वीक्षा के दौरान मौखिक साक्ष्य में परिवादी पक्ष की ओर से स्वयं पी.डब्ल्यु. 1 करणसिंह परीक्षित हुआ तथा दस्तावेजी साक्ष्य में मूल चैक प्रदर्श पी-1, चैक जमापर्ची प्रदर्श पी-2, चैक अनादरण मेमो प्रदर्श पी-3, विधिक नोटिस प्रदर्श पी-4 एवं पोस्टल रसीद प्रदर्श पी-5 को प्रदर्शित करवाया गया।

6. परिवादी पक्ष की उक्त साक्ष्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त को धारा 313 द.प्र.सं. के तहत् परीक्षित किया गया, तो उसने अभियोजन साक्ष्य का गलत होना बताते हुए कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया है। प्रतिरक्षा साक्ष्य में अभियुक्त पक्ष ने अवसर लिये जाने के उपरान्त भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की।

7. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गयी। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता परिवादी के तर्क रहे है कि अभियुक्त ने परिवादी से 1,50,000/- रूपये उधार लिये एवं इस राशि की अदायगी हेतु चैक प्रदर्श पी-1 दिया, जो बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर अपर्याप्त राशि के आधार पर अनादरित हुआ। परिवादी ने विहित अवधि में विधिक नोटिस भी अभियुक्त को प्रेषित किया, परन्तु अभियुक्त ने चैक राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया। तदुपरान्त परिवादी ने विहित अवधि में परिवाद न्यायालय में पेश किया। परिवादी ने मूल चैक, अनादरण ज्ञापन, विधिक नोटिस की प्रति व पोस्टल रसीद प्रस्तुत कर उसकी साक्ष्य से प्रमाणित किये हैं। परिवादी साक्षी की जिरह में कोई खण्डन नहीं आया है। अभियुक्त परिवादी के पक्ष में प्रावधित उपधारणा का खण्डन नहीं कर पाया है। अंत में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होने से उसे आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर परिवादी को चैक राशि मय क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने एवं अभियुक्त को कारावास से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के तर्क रहे हैं कि अभियुक्त ने परिवादी

Authenticated Document

से केवल 60,000 रुपये ही उधार लिये थे, जिसके बदले वह परिवादी को 1,15,000 रुपये दे चुका है। परिवादी ने उससे कोरा चैक लिया था, जिसमें अधिक राशि भरकर चैक का दुरूपयोग किया है। अंत में अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

9. उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारणार्थ अवधार्य प्रश्न यह है कि *''क्या अभियुक्त ने परिवादी से 1,50,000/- रूपये उधार लेकर इस राशि के भुगतान हेतु एक चैक संख्या 731061 राशि रूपये 1,50,000/- दिनांकित 13.07.2018 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा गामड़ा बामनिया का दिया, जो परिवादी द्वारा बैंक में भुगतानार्थ प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त राशि के आधार पर अनादरित हो गया। तत्पश्चात् विहित अवधि में अभियुक्त को जरिये अधिवक्ता रजिस्टर्ड सूचना-पत्र दिनांक 19.07.2018 को प्रेषित किया, परन्तु अभियुक्त ने चैक राशि का भुगतान नियत अवधि में नहीं किया, जिस पर परिवादी ने विहित परिसीमा में परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया एवं इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया है? यदि हां, तो अभियुक्त क्या दण्ड पाने का अधिकारी है?''*

10. उक्त अवधार्य प्रश्न को सकारात्मक रूप से स्थापित करने का भार परिवादी पक्ष पर है। इस सम्बन्ध में परिवादी पक्ष की ओर से स्वयं परिवादी पी.डब्ल्यु. 1 करणसिंह परीक्षित हुआ है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में मूल चैक प्रदर्श पी-1, चैक जमापर्ची प्रदर्श पी-2, चैक अनादरण मेमो प्रदर्श पी-3, विधिक नोटिस प्रदर्श पी-4 एवं पोस्टल रसीद प्रदर्श पी-5 प्रदर्शित करवाये हैं।

11. अवधार्य प्रश्न के क्रम में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना करे, तो प्रथमतः चैक प्रदर्श पी-1 पर अभियुक्त के ही हस्ताक्षर होने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में परिवादी ने परिवाद में एवं उसकी सशपथ साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्त द्वारा मांगते राशि पेटे उसे चैक प्रदर्श पी-1 हस्ताक्षर करके उसे दिया था। इसके अलावा न्यायालय में परीक्षण के दौरान भी पी.डब्ल्यु. 1 करणिसंह ने चैक प्रदर्श पी-1 पर ए से बी भाग में अभियुक्त के हस्ताक्षर होना बताया है। चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने के तथ्य को उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में किसी भी प्रश्न द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और न ही अभियुक्त ने अभियोग सार के प्रत्युत्तर में अथवा उसके बयान मुल्जिम में चैक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। अतः परिवादी की अखण्डित साक्ष्य एवं उक्त प्रकट तथ्यों से यह साबित होता है कि चैक प्रदर्श-1 पर हस्ताक्षर अभियुक्त के ही है अर्थात् चैक का निष्पादन अभियुक्त द्वारा ही किया जाना साबित है।

12. जहां तक चैक के अनादरण का प्रश्न है, तो इस तथ्य को साबित करने हेतु

Authenticated Document

परिवादी ने चैक अनादरण ज्ञापन को प्रदर्श-3 के रूप में पत्रावली पर प्रदर्शित करवाया है, जिसमें चैक प्रदर्श-1 को बैंक द्वारा अपर्याप्त राशि के आधार पर अनादरित किया जाना स्पष्टतः अंकित किया गया है। चैक अनादरण के तथ्य को अभियुक्त पक्ष की ओर से परिवादी की प्रतिपरीक्षा में अथवा किसी भी प्रक्रम पर कोई चुनौती नहीं दी गयी है। अतः उक्त साक्ष्य से चैक प्रदर्श पी-1 का अनादरण अपर्याप्त राशि के आधार पर होना भी साबित होता है।

13. विधिक मांग नोटिस के सम्बन्ध में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य को देखें, तो परिवाद में चैक अनादरण की सूचना परिवादी ने जरिये विधिक नोटिस दिनांकित 19.07.2018 को रजिस्टर्ड डाक से दिया जाना बताया है। विधिक नोटिस की प्रति को प्रदर्श-4 एवं पोस्टल रसीद को प्रदर्श-5 के रूप में पत्रावली पर प्रदर्शित करवाया गया है। यद्यपि नोटिस प्राप्ति की कोई रसीद या अभिस्वीकृति पत्रावली पर पेश नहीं की गयी है, परन्तु परिवादी ने उसके परिवाद एवं सशपथ साक्ष्य में नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो जाना बताया है।

14. इस सम्बन्ध में अभियुक्त पक्ष द्वारा बहस के दौरान भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्त को परिवादी द्वारा प्रेषित कोई नोटिस नहीं मिला। इस तर्क के सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकृत स्थिति है कि पत्रावली पर कोई पावती रसीद या अभिस्वीकृति या पोस्ट ट्रेकिंग रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है, मात्र मौखिक साक्ष्य में परिवादी ने अभियुक्त को नोटिस प्राप्त हो जाना बताया है। इस सम्बन्ध में धारा 138 एन.आई.एक्ट के परन्तुक का खण्ड (ख) यह स्पष्ट करता है कि चैक का धारक चैक अनादरित लौटने पर 30 दिवस में चैक जारीकर्ता को लिखित में चैक राशि की मांग करने वाला नोटिस देगा। उक्त प्रावधानानुसार परिवादी ने विधिक मांग नोटिस, जिसकी प्रति पत्रावली पर प्रदर्श पी-4 के रूप में प्रदर्शित करवायी गई है, अभियुक्त को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया था, जिसके समर्थन में पोस्टल रसीद प्रदर्श पी-5 को भी प्रदर्शित करवाया गया है। इस प्रक्रम पर यह भी उल्लेखनीय है कि नोटिस प्रदर्श पी-4 पर उल्लेखित पता अभियुक्त का नहीं हो या अपूर्ण पता हो, ऐसा कोई तथ्य अभियुक्त पक्ष ने विचारण के किसी भी प्रक्रम पर नहीं बताया है और न ही बहस के दौरान ऐसा कोई तर्क दिया गया है कि नोटिस में उल्लेखित पता अभियुक्त का नहीं हो। ऐसी स्थिति में यह स्थापित होता है कि परिवादी ने अभियुक्त के ही पते पर विधिक मांग नोटिस रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर धारा 138 एन.आई.एक्ट के परन्तुक के खण्ड ख में उल्लेखित शर्त की पूर्ति समुचित रूप से की है। इसके अलावा इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "*सी.सी.अलवी हाजी बनाम पलापेट्टी मुहम्मद व अन्य (2007) 6 एससीसी 555*" में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि चैक जारीकर्ता को नोटिस नहीं भी मिला हो, तब भी वह न्यायालय से सम्मन प्राप्त होने के 15 दिवस में चैक राशि चैकधारक को अदा करके न्यायालय से परिवाद खारिज करने की प्रार्थना कर सकता है, परन्तु ऐसा भी नहीं करने पर इस भांति का चैक जारीकर्ता यह तर्क नहीं ले सकता है कि उसे विधिक नोटिस नहीं मिला। ऐसी स्थिति में अभियुक्त पक्ष द्वारा दिया गया उक्त तर्क कि उसे नोटिस नहीं मिला, स्वीकार किये जाने

Authenticated Document

योग्य नहीं है।

15. तदुपरान्त परिवादी ने विहित परिसीमा में परिवाद न्यायालय में पेश किया गया है। इस प्रकार परिवादी ने धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध के गठन हेतु प्रावधित सभी विधिक बाध्यताओं/अपेक्षाओं की विहित समयावधि में पालना की है। इस मामले में चैक प्रदर्श पी-1 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होना साबित होने से एन.आई.एक्ट की धारा 118 एवं 139 में प्रावधित उपधारणायें इस मामले में अस्तित्व में आ जाती हैं।

16. अब इस प्रक्रम पर यह देखना है कि क्या अभियुक्त उक्त उपधारणाओं का कोई खण्डन अथवा सम्भावित प्रतिरक्षा सृजित कर सका है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में प्रथमतः यह उल्लेखनीय है कि इन उपधारणाओं का खण्डन न्यायालय को परिवादी साक्षी की प्रतिपरीक्षा में एवं साक्ष्य प्रतिरक्षा में लाये गये तथ्यों से देखना है। इस प्रकरण में अभियुक्त ने उसकी ओर से प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, ऐसी स्थिति में मात्र परिवादी साक्षी की प्रतिपरीक्षा में आये तथ्यों से ही अभियुक्त की कोई प्रतिरक्षा सृजित होती है अथवा नहीं, यही देखना शेष रह जाता है। इस क्रम में परिवादी साक्षी पी.डब्ल्यु. 1 करणसिंह की प्रतिपरीक्षा को देखे, तो इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में उससे मुख्य रूप से उसके न्यायालय में चैक अनादरण के संबंध में कितने मामले चलने, विधिक नोटिस प्रेषित करने, डाक रसीद के आरआर नम्बर सम्बन्धी प्रश्न किये/सुझाव दिये गये है, जिनके परिवादी ने समुचित उत्तर दिये हैं।

17. परिवादी पी.डब्ल्यु. 1 करणसिंह की प्रतिपरीक्षा में किये गये उक्त प्रश्नों के उत्तरों को देखे, तो परिवादी ने यह स्वीकार किया है कि उसके न्यायालय में चैक अनादरण के संबंधी मुकदमें चल रहे है, जिनमें से कुछ का निस्तारण हो जाना तथा कुछ लम्बित होना कहा। अभियुक्त को विधिक नोटिस ठाकरड़ा पोस्ट आफिस से प्रेषित किया जाना बताया तथा विधिक नोटिस कितने पृष्ठों में दिया था, उसे याद नहीं होना कहा। इस प्रकार परिवादी की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जो परिवादी के पक्ष में प्रावधित विधिक उपधारणाओं का खण्डन करने में समर्थ हो।

18. इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त ने उसके अभियोग सार के प्रत्युत्तर में यह बताया है कि उसने परिवादी से केवल 60,000 रुपये ही उधार लिये थे, जिसके लिये 1,15,000 रुपये वह परिवादी को दे चुका है। परिवादी ने उससे कोरा चैक लिया था, जिसमें अधिक राशि भरकर उसने चैक का दुरूपयोग किया है, परन्तु उक्त वर्णित तथ्यों के संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में न तो परिवादी से कोई प्रश्न ही किया गया है, जिससे अभियुक्त को उक्त तथ्थों के संबंध में कोई सहायता ही मिलती हो। चैक पर हस्ताक्षर होना विवादित नहीं है।

19. बहस के दौरान अभियुक्त पक्ष की ओर से अभियोग सार में दिये गये तर्कों का दोहरान करते हुए तर्क दिये गये कि अभियुक्त ने परिवादी से केवल 60,000 रुपये ही उधार

Authenticated Document

लिये थे, जिसके लिये 1,15,000 रुपये वह परिवादी को दे चुका है। परिवादी ने उससे कोरा चैक लिया था, जिसमें अधिक राशि भरकर उसने चैक का दुरूपयोग किया है। इन तर्कों के संबंध में अभियुक्त पक्ष की ओर से न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है और न ही परिवादी से प्रतिपरीक्षा के वक्त कोई सवाल ही किया गया है। इस प्रकार उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

20. अतः पत्रावली पर प्रस्तुत उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की उक्तानुसार विवेचना से यह साबित होता है कि प्रदर्श पी-1 चैक अभियुक्त द्वारा ही परिवादी को विधिक बकाया के भुगतान हेतु दिया गया एवं यह चैक देने के उपरान्त अभियुक्त द्वारा उसके बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं रखी गई, जिससे चैक राशि का भुगतान परिवादी को नहीं हो सका एवं चैक अनादरित हुआ। परिवादी ने विहित समय में नोटिस दिया, जिसकी सम्यक् तामील अभियुक्त पर होने के पश्चात् भी चैक राशि का भुगतान नहीं करने पर विहित परिसीमा में परिवाद पेश किया। अतः प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर परिवादी पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट का आरोप सन्देह से परे साबित कर पाने में सफल रहा है। तदनुसार अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

21. परिणामस्वरूप अभियुक्त कालुराम पिता जेतेंग, उम्र 56 वर्ष, निवासी गामड़ा ब्राम्हणिया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.) को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है। अभियुक्त के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलका निरस्त किये जाते हैं।

(मदनलाल बालोटिया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सागवाड़ा जिला डूंगरपुर

<u>दण्ड के परिमाण पर</u>

22. परिवीक्षा व दण्ड के परिमाण पर उभय पक्ष को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त निर्धन व्यक्ति है। अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे अथवा न्युनतम दण्ड से दण्डित किया जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने निवेदन किया कि परिवादी करीब 8 वर्षो से चैक राशि से वंचित रहा है। अतः अभियुक्त को कठोरतम दण्ड से दण्डित कर परिवादी को चैक राशि की दुगुनी राशि बतौर प्रतिकर दिलवायी जावे।

23. उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुये पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में परिवादी ने चैक को भुगतान हेतु वर्ष 2018 में बैंक में पेश किया था।

Authenticated Document

अभियुक्त द्वारा चैक की राशि का कोई भाग भी परिवादी को अदा नहीं किया गया है, जिससे परिवादी चैक राशि के उपभोग से वंचित हुआ है। इस भांति के अपराध बैंकिंग व आर्थिक व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है। इस भांति के मामले में अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

<u>दण्डादेश</u>

24. अतः अभियुक्त कालुराम पिता जेतेंग, उम्र 56 वर्ष, निवासी गामड़ा ब्राम्हणिया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.) की अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में दोषसिद्धि पर उसे इस अपराध हेतु 1 (एक) वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही धारा 357(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त रूपये 3,00,000/- (अक्षरे तीन लाख रूपये) बतौर प्रतिकर परिवादी को अदा करे, यह राशि अभियुक्त न्यायालय में जमा करावे, जो अपील की परिसीमा के अवसान के पश्चात् अपील नहीं होने की सुरत में, नियमानुसार परिवादी को अदा की जावे। अदम अदायगी प्रतिकर अभियुक्त एक माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा। अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में रहने की अवधि, यदि कोई हो, धारा 428 द.प्र.सं. के तहत् मूल सजा में से समायोजित की जावे। तदनुसार सजा वारण्ट तैयार किया जावे। अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जावे।

(मदनलाल बालोटिया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सागवाड़ा जिला डूंगरपुर

25. उक्त निर्णय एवं दण्डादेश आज दिनांक 09.06.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Steno Gr. III
Digitally signed by DARSHAN KUMAR SUTHAR
Location: ACJM COURT, SAGWARA
Date: 2026.06.10 12:20:20 +0000
DARSHAN KUMAR SUTHAR

(मदनलाल बालोटिया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सागवाड़ा जिला डूंगरपुर

Authenticated Document